

230

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 255/2021

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा जैन नेक्स्ट, प्रथम तल्ला, डी एन-14, सेक्टर 5, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता
(पश्चिमी बंगाल) 700091 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

— प्रार्थी

बनाम

—अप्रार्थीगण / ऋणी

मैसर्स वर्चअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड

(अ) रजिस्टर्ड आफिस 103, पाल्को हाउस, 2162/टी-10, मैन पटेल रोड (वेस्ट दिल्ली) नई दिल्ली
110008

(ब) कोलकाता आफिस द्वितीय तल, ईएन-20, साल्ट लेक सिटी, सेक्टर 5, कोलकाता (पश्चिमी बंगाल)
700091

(स) जयपुर आफिस द्वितीय तल, डी-4, बंसल एन्क्लेव, मोती लाल अटल रोड, गणपति प्लाजा के पीछे,
जयपुर (राजस्थान) 302001

(द) तिरुपति कॉम्प्लेक्स में तृतीय तल पर निर्मित हॉल संख्या 302, 303, 304 कोरीडोर एवं हाल संख्या
301, 305, 312, 313, 314 जीना, कोरीडोर, खसरा नं० 1795/700 व 1797/1371, ग्राम टोडी,
पोस्ट दुडिया, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

गारन्टर

श्री नीरज कौशिक पुत्र स्व० श्री उमेश चन्द कौशिक

मकान नं० 128, सुखीमल स्ट्रीट, डासना गेट, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) 201001

श्री इन्द्रजीत गोयल पुत्र श्री छगनलाल गोयल

ए-50, आर्य नगर, वार्ड नं०6, मुरलीपुरा, जयपुर (राजस्थान) 302013

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड
एनफॉर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात "एक्ट" से संबोधित किया गया है, बंधक
संपत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित:-

1. एडवोकेट श्री आर०पी०सिंह/श्री मनोज वर्मा:- प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।
2. एडवोकेट श्री परिवेश कुमार- अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 03.08.2022

प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को कुल रूपये 175 लाख की ऋण सुविधा दिनांक 02.07.2018 को कैश क्रेडिट हाईपोथिकेशन लिमिटेड लोन के बाबत उपलब्ध कराई थी जिसे प्रार्थी की मांग के अनुसार दिनांक 04.06.2020 को नवीनीकृत किया गया व अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज में अन्य सम्पत्तियों के साथ मैसर्स वर्चअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड की दिनांक 08.07.2016 को निष्पादित विक्रय पत्र में वर्णित तिरुपति कॉम्प्लेक्स में तृतीय तल पर निर्मित हाल संख्या 302 (1370 वर्गफीट) हॉल संख्या 303 (879.60 वर्गफीट), हॉल संख्या 304 (867 वर्गफीट) व इनके पूर्व की ओर सलंगन कोरिडोर (413 वर्गफीट) इन सभी का कुल क्षेत्रफल 3530 वर्गफीट (उक्त सभी हॉल छत अधिकार सहित) एवं हॉल संख्या 301 (379 वर्गफीट) हॉल संख्या 305 (415 वर्गफीट) हॉल


जिला कलक्टर झुंझुनूं

संख्या 312 (400 वर्गफीट), हॉल संख्या 313 (394.30 वर्गफीट), हॉल संख्या 314 (672.75 वर्गफीट), शौचालय (270 वर्गफीट), जीना (100 वर्गफीट) व सलंगन कोरीडोर (857.75 वर्गफीट) इन सभी का कुल क्षेत्रफल 3489 वर्गफीट (उक्त सभी हॉल बिना छत पर अधिकार के) ग्राम टोडी, पोस्ट छुडिया, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राजस्थान) के खसरा नं० 1795/700 (क्षेत्रफल 780 वर्गमीटर) व 1797/1371 (क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर) में निर्मित व्यावसायिक इमारत पर अतः इस प्रकार से निर्मित भाग का कुल क्षेत्रफल 7019 वर्गफीट को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 27.08.2020 को एन०पी०ए० घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में राशि रूपये 1,82,24,488.08/- दिनांक 31.07.2021 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते हैं। उक्त ऋण खाता दिनांक 27.08.2020 को एन०पी०ए० घोषित होने के कारण "एक्ट" की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी (अप्रार्थी) सह ऋणी एवं जमानती को दिनांक 05.08.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई व न ही बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि 1,82,24,488.08/- दिनांक 31.07.2021 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च जमा कराना था, परन्तु ऋणी व जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व निलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने व कायम रखने में सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी बैंक ने माननीय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डॉक्यूमेंट्स कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने व कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारु रूप से विक्रय एवं अन्तरण (निलामी) हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। बैंक सिक्योरिटीज का विवरण:- मैसर्स वर्चअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड की दिनांक 08.07.2016 को निष्पादित विक्रय पत्र में वर्णित तिरुपति कॉम्प्लेक्स में तृतीय तल पर निर्मित हाल संख्या 302 (1370 वर्गफीट) हॉल संख्या 303 (879.60 वर्गफीट), हॉल संख्या 304 (867 वर्गफीट) व इनके पूर्व की ओर सलंगन कोरीडोर (413 वर्गफीट) इन सभी का कुल क्षेत्रफल 3530 वर्गफीट (उक्त सभी हॉल छत अधिकार सहित) एवं हॉल संख्या 301 (379 वर्गफीट) हॉल संख्या 305 (415 वर्गफीट), हॉल संख्या 312 (400 वर्गफीट), हॉल संख्या 313 (394.30 वर्गफीट), हॉल संख्या 314 (672.75 वर्गफीट), शौचालय (270 वर्गफीट), जीना (100 वर्गफीट) व सलंगन कोरीडोर (857.75 वर्गफीट) इन सभी का कुल क्षेत्रफल 3489 वर्गफीट (उक्त सभी हॉल बिना छत पर अधिकार के) ग्राम टोडी, पोस्ट दुडिया, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राजस्थान) के खसरा नं० 1795/700 (क्षेत्रफल 780 वर्गमीटर) व 1797/1371 (क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर) में निर्मित व्यावसायिक इमारत पर अतः इस प्रकार से निर्मित भाग का कुल क्षेत्रफल 7019 वर्गफीट

पूर्व में

पश्चिम में.....

उत्तर में.....

दक्षिण में.....

अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर, प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा व संबंधित डॉक्यूमेंट्स का कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करवाने, कब्जा कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारु रूप से विक्रय एवं अंतरण (निलामी) हेतु पर्याप्त बल उपलब्ध करवाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन०पी०ए० घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार

ला कलक्टर झुंझुनूं


सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

वकील अप्रार्थीगण ने बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु मोहल्लत प्रदान करने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति मैसर्स वर्चअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड की दिनांक 08.07.2016 को निष्पादित विक्रय पत्र मे वर्णित तिरुपति कॉम्प्लेक्स मे तृतीय तल पर निर्मित हाल संख्या 302 (1370 वर्गफीट) हॉल संख्या 303 (879.60 वर्गफीट), हॉल संख्या 304 (867 वर्गफीट) व इनके पूर्व की ओर सलंग्न कोरिडोर (413 वर्गफीट) इन सभी का कुल क्षेत्रफल 3530 वर्गफीट (उक्त सभी हॉल छत अधिकार सहित) एवं हॉल संख्या 301 (379 वर्गफीट) हॉल संख्या 305 (415 वर्गफीट), हॉल संख्या 312 (400 वर्गफीट), हॉल संख्या 313 (394.30 वर्गफीट), हॉल संख्या 314 (672.75 वर्गफीट), शौचालय (270 वर्गफीट), जीना (100 वर्गफीट) व सलंग्न कोरीडोर (857.75 वर्गफीट) इन सभी का कुल क्षेत्रफल 3489 वर्गफीट (उक्त सभी हॉल बिना छत पर अधिकार के) ग्राम टोडी, पोस्ट दुडिया, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) के खसरा नं० 1795/700 (क्षेत्रफल 780 वर्गमीटर) व 1797/1371 (क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर) मे निर्मित व्यावसायिक इमारत पर अतः इस प्रकार से निर्मित भाग का कुल क्षेत्रफल 7019 वर्गफीट का पजेशन प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 03.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल०एस०कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू